।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांक- सामान्य/10/2018/41293-403 दिनांक- 31/10/18

-: परिपत्र :-

जिला कारागृहों व उप कारागृहों से बंदी बीमार होने तथा चिकित्सक द्वारा रैफर किये जाने पर Higher Center भेजे जाते है जहां पर केन्द्रीय कारागृह होता है। कई बार केन्द्रीय कारागृहों से भी बंदी रैफर किये जाने पर ऐसी जगह भेजे जाते है जहां अन्य केन्द्रीय कारागृह होते है। इन बीमार बंदियों में कई बंदी गंभीर रूप से बीमार होते है, साथ ही लाचार व वृद्ध भी होते है। बंदियों के Medical Test हेतु कई बार दूसरे दिन बंदियों को वापस चिकित्सकों द्वारा बुलाया जाता है, ऐसी स्थिति में लाचार व वृद्ध तथा गंभीर रूप से बीमार बंदी वापस अपनी मूल कारागृह जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करते हैं तथा चिकित्सकीय दृष्टि से भी वापस मूल कारागृह भेजा जाना गंभीर समस्याएँ उत्पन्न करता है। बंदी को मूल कारागृह इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि Higher Center के अस्पताल से संबंधित केन्द्रीय कारागृह प्रशासन द्वारा उस बंदी को कारागृह में रखने से मना कर दिया जाता है।

यह भी देखा गया है कि यदि बंदी को संबंधित केन्द्रीय कारागृह द्वारा प्रवेश दे दिया जाता है तो उस बंदी को अन्य सामान्य बंदियों के साथ रख दिया जाता है जिससे उस बंदी पर जितना ध्यान देना आवश्यक होता है उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लाचार व वृद्ध बीमार बंदियों के साथ ऐसा होने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन बंदियों को सामान्य वार्ड में रखने से कई बार बंदी बहुत दिनो तक वापस अस्पताल नहीं जा पाता है जो अत्यन्त गंभीर स्थिति है।

इस स्थिति में सुधार हेतु निम्नाकिंत दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-

1. जब कोई बंदी अन्य कारागृहों से इलाज हेतु रैफर किये जाने पर इलाज के उच्चत्तर संस्थानो/अस्पतालों में भेजे जाते है तथा उन बंदियों के चिकित्सकीय परीक्षण व इलाज हेतु अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा उन्हें संबंधित केन्द्रीय/जिला कारागृह में रखने की सलाह दी जाती है तो उस कारागृह के अधीक्षक/उपाधीक्षक द्वारा इन बंदियों को प्रवेश दिया जायेगा, किसी भी स्थिति में मना नहीं किया जायेगा।
2. जहां वृद्ध व लाचार बंदियों का अलग से वार्ड हों तो आने वाले वृद्ध व लाचार बंदियों को उसी वार्ड में रखा जावें तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि चिकित्सक उस वार्ड में जाकर प्रतिदिन बीमार बंदियों को देखें।
3. यदि बंदी वृद्ध व लाचार नहीं है तो एक ऐसा बैरक चिन्हित किया जाये जहां ऐसे बीमार बंदियों को रखा जाये ताकि उनकी देख-भाल सुनिश्चित हो सकें।

4. यदि वृद्ध व लाचार बंदियों को अलग से रखने का वार्ड नहीं है तो ऐसा वार्ड/बैरिक चिन्हित किया जायें।
5. ऐसे बीमार बंदियों के वार्ड/बैरिकों का विशेष ध्यान रखा जाये तथा वहां चिकित्सक का प्रतिदिन जाना सुनिश्चित किया जायें।
6. अधीक्षक/उपाधीक्षक प्रतिदिन सुबह व शाम इन बंदियों की देखभाल, अस्पताल भेजने व इलाज के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करें तथा इसमें कई चूक या कमी दिखाई दे तो उसे दूर करना सुनिश्चित करें।

ऐसा वार्ड/बैरिक बनाने तथा आवश्यक व्यवस्थाएँ करने में यदि कोई वित्तीय मदद या सहायता चाहिये तो महानिदेशालय कारागार से पत्राचार करें।

नोट- इस व्यवस्था का अनुचित लाभ यदि कोई बंदी उठाना चाहे तथा उसे कारागृह में लेना/रखना आवश्यक नहीं तो इसके लिए महानिदेशालय से दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लेना/रखने से मना करें। अपने स्तर से मना नहीं करें। यदि किसी बंदी द्वारा प्रावधानों का दुरूपयोग किया गया है तो लिखित में महानिदेशालय को अवगत करायें ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।
2. उप महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
5. कमाण्डेन्ट, 13वीं बटालियन, आर.ए.सी (जेल सुरक्षा), चैनपुरा, जयपुर।
6. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
8. अधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
9. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजस्थान।
10. प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान।
11. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
12. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को वास्ते अपलोड हेतु।

महानिदेशक
कारागार राजस्थान, जयपुर